

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(13)तक./प्रमुवसं/ट्री/2016-17/1245-58

दिनांक : 03.08.2016

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
भरतपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
मुख्य वन संरक्षक,
बनास परियोजना, जयपुर/आरवीपी, कोटा।

विषय:- मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत पौधारोपण एवं मनरेगा के अधीन संधारण हेतु आदर्श लागत अनुमान जारी करने के क्रम में।
संदर्भ:- इस कार्यालय का सम संख्यक पत्रांक 1122-40 दिनांक 08.07.2016, कार्या. आयुक्त, मनरेगा के पत्र दि. 18.07.2016 एवं शासन सचिव, वन का पत्रांक प.9(5)/वन/2016 दि. 28.07.2016 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं इसके पश्चात मनरेगा में संधारण के संबंध में निम्न आदर्श लागत अनुमान राज्य स्तरीय मोडल अनुमोदन समिति की अनुशंघा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर के अनुमोदन उपरांत जारी किया जाकर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है :-

1. वृक्ष कुंज वृक्षारोपण एवं संधारण (मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत)(श्रमिक दर 189/- प्रति दिन)।
2. वृक्ष कुंज वृक्षारोपण पश्चात् मनरेगा में संधारण।
3. स्थानीय रूप से उपलब्ध कांटेदार झाड़ियों से बाड बन्दी कर एम.जे.एस.ए. के अन्तर्गत वृक्षारोपण उपरांत मनरेगा से संधारण।
4. स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों से बाड बन्दी कर एम.जे.एस.ए. के अन्तर्गत वृक्षारोपण उपरांत मनरेगा से संधारण।
5. रिंगपिट पद्धति से एम.जे.एस.ए. के अन्तर्गत वृक्षारोपण उपरांत मनरेगा से संधारण।
6. मनरेगा के अन्तर्गत ईको रेस्टोरेशन मॉडल।

उक्त संलग्न मॉडल केवल मार्गदर्शक एवं गाईडलाईन स्वरूप है। यह कार्यस्थल विशेष पर कार्य करने का प्राक्कलन नहीं है। अतः कृपया मॉडल के दृष्टिगत संभाग स्तरीय विभागीय बीएसआर / संबंधित विभाग की बीएसआर के अनुरूप कार्यस्थल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।


भवदीय,


अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(13)तक./प्रमुवसं/ट्री/2016-17/1259-66

दिनांक : 03.08.2016

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
 3. निदेशक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ट्रेनिंग एवं अनुसंधान, राजस्थान, जयपुर।
 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बन्दोबस्त एवं कार्य आयोजना, राजस्थान, जयपुर।
 5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू-संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
 6. परियोजना निदेशक एवं अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आरएफबीपी, राज., जयपुर।
 7. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिल्विकल्चर, राजस्थान, जयपुर।
 8. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर